अन्तिम डिगरी व मुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

ब अदालत उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री मुकेश बारैठ, आर.ए.एस.

राजदीप सिंह बनाम स्टेट आफ राजस्थान
दावा 88आर.टी.ए , 136 एलआर एक्ट
मुकदमा नं0 95/2016
निर्णय दिनांक :- 30.8.2017

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादी अधिवक्ता श्री गंगाराम प्रसाद शर्मा एवं प्रतिवादी पैरोकार राज** पेश होकर आदेश दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि -

वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाकर चक 2आर की जमाबंदी संवत् 2072-75 के खाता सं0 77/66 के मु0 नं0 29 की 3.238 है0 नहरी रकबा में अंकित नाम मान सिंह पुत्र मुखल सिंह के स्थान पर हरदासी बाई पत्नि रतन सिंह व गोधा सिंह पुत्र भाग सिंह बहिरसा बराबर देह गैर खातेदार दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है एवं चक 2आर की जमाबंदी संवत् 2072-75 के खाता सं0 74/60 के मु0 नं0 29 के किला नं0 1 ता 12/1 में अंकित नाम कोडी पत्नि लालचंद जाति सिंधी साकिन देह गैर खातेदार के स्थान पर मान सिंह पुत्र मुखल सिंह जाति सिंधी निवासी 2आर देह गैर खातेदार दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते है।

उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जावे। पर्चा डिगरी की एक प्रति राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन हेतु तहसीलदार राजस्व श्रीकरणपुर को प्रेषित की जावे। इस संबंध में किसी अन्य न्यायालय का कोई आदेश या स्थगन आदेश हो तो उसकी पालना की जावे, एवं इस संबंध में इस न्यायालय को अवगत कराया जावे।

आज दिनांक 30.8.2017 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

मुहर

मुददई	रूपया	पैसा	मुदायली	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अरजी	00	--
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकली पर	0	--
योग	**04**	**00**	योग	**00**	**00**

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
दिनांकः- 30.8.2017

मुहर

क्रमांक :- राजस्व/17/1745

प्रतिलिपि : तहसीलदार (राजस्व), श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

Scanned by CamScanner